2021/142

प्रकरण संख्या 14/2021 उदयसिंह बनाम मदनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वियाना, तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 5 की आराजी नंबर 200 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/6, 1/6 हिस्सा है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं। अतः उक्त आराजी का पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर खाते अलग-अलग किये जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.11.2013 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01.07.2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 29.07.2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने अंतिम डिक्री जारी की है, जिसकी जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन [illegible] अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील [illegible] की जाती है। वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 17:11:27 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या 14/2021 उदयसिंह बनाम मदनसिंह

तहसीलदार देवगढ़ ने बिना मौका देखे मनगढन्त तरीके से रेस्पोन्डेन्ट के कथनानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया है। जबकि कानूनन तहसीलदार को मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी कर दी है, वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव एवं उससे सम्बन्धित आंशिक नक्शा ट्रेस पर सिर्फ मदनसिंह वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के ही हस्ताक्षर हैं, अन्य किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार देवगढ़ स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 31.03.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/23

(... मीना)

भू-प्र... अधिकारी

एवं पदेन ... अपील अधिकारी

उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 17:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner